रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1985/माघ 27, 1906
No. 59] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1985/MAGHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

सं. 17/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 82(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि एक प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अंतर्गत उसकी उद्ग्रहण न किया जाना भी है) की बाबत साधारणतया प्रचलित थी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की मद सं. 32क के अंतर्गत सम्मिलित, 14 एम एम डब्ल्यू जी से पतले ताम्बे के नंगे तारों पर उत्पाद-शुल्क 7 अप्रैल, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 10 जून, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि, उक्त प्रथा के न होने पर, ऐसे ताम्बे के नंगे तारों पर उक्त अधिनियम के अधीन संदेय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन संदेय विशेष उत्पाद-शुल्क ऐसे ताम्बे के नंगे तारों की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क और उक्त विशेष उत्पाद-शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान, उद्ग्रहीत नहीं किए गए थे ।

[फा. सं. 138/9/80-सी एक्स 4]

एच. वी. चौहान, अवर-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1985

NO. 17/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 82(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof), under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on bare copper wires finer than 14 SWG, falling under Item No. 338 of the First Schedule to the said Act, was not being levied during the period commencing on the 7th April, 1979 and ending with the 10th June, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under the said Act and the special duties of excise payable under sub-section (1) of section 32 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), on such bare copper wires, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such bare copper wires, on which the said duty of excise, and the said special duties of excise were not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 138/9/80-CX. 4]

H. V. CHAUHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985